

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 17 अदद बंटी बबली अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 17 अदद बंटी बबली ब्राण्ड अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता संतराम पुत्र गंगाराम निवासी नालाजोत थाना बेलहरकला हालमुकाम नरायमनपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 17 अदद बंटी बबली ब्राण्ड अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 7/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ तिवारी मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा दो पक्षों में विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 11425 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्तकराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0स्व0 केन्द्र नाथनगर पहुँचाया गया तथा प्रतिवादी को थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 राजकुमार सिंह, आ0 शमशेर अली, हो0चा0 दिनेशचन्द।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 07.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनो से 72500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।